कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

30 AUG 2025

।। ज्ञापन ।।

कमांक/8366/विविध/2025 उज्जैन, दिनांक –

प्रति,

प्रवर्तन लिपिक,
समस्त न्यायालय,
जिला एवं तहसील न्यायालय उज्जैन,

विषय – क्रिमिनल समन एवं वारंट जारी किये जाने के संबंध में।

—0—

उपरोक्त विषयांतर्गत यथाआदेशानुसार लेख है कि आपराधिक मामलों में क्रिमिनल समन एवं वारंट जारी किये जाने पर सीआईएस सॉफ्टवेयर व सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर में रीयल टाईम पर डाटा अपडेट होने तक ऐसे क्रिमिनल प्रकरण जिनकी पेशी 07 से 10 दिवस के अंदर नियत है उन्हें ऑफलाईन माध्यम से तथा वे क्रिमिनल प्रकरण जिनकी पेशी दिनांक 10 दिवस के बाद की नियत है उनके समन/वारंट ऑनलाईन सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रकरण के आदेश दिनांक से 2 से 3 दिवस के अंदर ही जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

साथ ही आपराधिक मामलों में क्रिमिनल समन एवं वारंट जारी किये जाने के संबंध में एक व्हाटसएप ग्रुप भी बनाया गया है उक्त व्हाटसएप ग्रुप का प्रतिदिन अवलोकन करें तथा सीआयएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्रतिदिन पब्लिश समन एवं वारंट की सूची प्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

29.8.2025

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.

कार्यालय– प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन (म.प्र.)

।। ज्ञापन ।।

कमांक/...../2025 उज्जैन, दिनांक –

प्रतिलिपि– जिला अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उज्जैन म.प्र. की ओर सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Sd

वास्ते–प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
उज्जैन, जिला उज्जैन.